



2026:AHC:129473

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र 9574 वर्ष 2026

जुबैर आलम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: संजय कुमार सिंह, तेज प्रताप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की बातें सुनीं और अभिलेख देखा।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 542/2025 (थाना- शाहपुर, ज़िला- गोरखपुर) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुज़ारिश के साथ दायर की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धारा 137(2), 351(3) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को राजनीतिक दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी तीन दिन की देरी से दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में बताई गई बात और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज कथित पीड़ित के बयानों में अहम विरोधाभास हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आवेदक ने हमला करने से पहले पीड़ित को 20 रुपये का लालच दिया था। हालांकि, चिकित्सीय जांच के दौरान पीड़ित के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। यह भी तर्क दिया गया है कि सूचना देने वाले ने डीएनए प्रोफाइलिंग करवाने से इनकार कर दिया था। आवेदक 19.11.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है। निकट भविष्य में आवेदक के खिलाफ वाद के खत्म होने की संभावना नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि पीड़िता ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी के तौर पर विशेष रूप से आवेदक का नाम लिया है। इस मामले में आवेदक ही एकमात्र आरोपी है और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं। आवेदक के खिलाफ वाद चल रहा है, इसलिए उसे ज़मानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

6. कहा जाता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग तीन दिन की देरी हुई। चिकित्सीय जांच के दौरान पीड़ित के शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला। पहली नज़र में, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों को देखने पर पता चलता है कि एक बयान में घटना के बारे में पिता को बताया गया था, जबकि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दिए गए बयान में कहा गया है कि घटना के बारे में पीड़ित के बड़े भाई को अहद नाम के व्यक्ति ने बताया था। इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अहद का बयान बताता है कि उसने सिर्फ यह सुना था कि आरोपी ने अपने दोस्त रजत शर्मा के छोटे भाई के साथ मारपीट की थी। आरोपी 19.11.2025 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है, और निकट भविष्य में वाद के पूरा होने की संभावना नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ज़मानत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाती है।

9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - जुबैर आलम को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक स्वीय बंधपत्र और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और वाद की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी ज़मानत निरस्त करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से तैयार प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा; यह प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।

13. ऊपर बताई गई बातें सिर्फ इस ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

जून 29, 2026

कुशल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।